

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	नाम
		<p>कि आज्ञा से जवाब धारक पत्र हेतु उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक रूप से पत्र भेजा गया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
2/2/24		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी तथा अधिवक्ता सहायक (संख्या 1 अ. 4 उपस्थित) अधिवक्ता सहायक (संख्या 2 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को मिलायी गयी। अदालत प्रार्थना पर अस्थायी निर्णय सुनी गयी। पत्रावली वास्तु में दिनांक 2/2/24 को पेश की।</p>	
3/2/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाएं परिशोधित उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पर स-न-गति द्वारा 2/2 RTI 1955 वास्तु अस्थायी निर्णय सुनी गयी। निर्णय सुनाने के लिए निर्णय पृथक से संश्लेषित किया जाकर शामिल किया गया। निर्णय सुनाने के लिए न्यायालय से सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली निर्णय सुनाने के लिए नंबर 10 नाम से अदालत में दाखिल की।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	